



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics

मृत जन्म प्रमाण पत्र

STILL BIRTH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और

राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया)

Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan
Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय) तहसील/खण्ड जिला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of still birth which is the register for (local area/local body)of Tehsil/Block..... of District of State/Union Territory

नाम/Name :

लिंग/Sex :

जन्म तिथि/Date of Birth :

जन्म स्थान/Place of Birth :

माता का नाम/Name of Mother :

माता का आधार नंबर /Mother Aadhar No :

पिता का नाम/Name of Father :

पिता का आधार नंबर/Father Aadhar No :

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता

माता पिता का स्थायी पता

Address of parents at the time of birth of the Child

Permanent address of the Parents

रजिस्ट्रीकरण संख्या/Registration No. :

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/Date of Registration :

टिप्पणी/Remarks (if any) :

जारी करने की तारीख/Date of Issue :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of issuing authority

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता/Address of issuing authority

मुहर/Seal

नोट: "बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता" एवम् "माता पिता का स्थायी पता" के कालमों से सम्बंधित सूचनाएँ 01/01/2007 से पूर्व लागू नहीं थी।

Note : Information in respect of the columns "Present address of parents at the time of birth of the child" and "Permanent address of parents" were not applicable before 01/01/2007

Software Courtesy National Informatics Centre (NIC), Rajasthan

Certificate can be tracked on <http://pehchan.raj.nic.in>